

न्यायालय न्यायिक मजि०, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ।

दण्डवाद सँ०-441/2016

राज्य बनाम असगर अली

वयान मुल्जिम  
-----

|         |              |       |       |
|---------|--------------|-------|-------|
| नाम—    | पिता का नाम— | आयु—  | पेशा— |
| निवासी— | थाना —       | जनपद— |       |

प्र०न०1— क्या दिनांक 01.01.2016 को समय करीब 19.00 बजे व स्थान फैजुल्ला गंज तिराहा मन्दिर के पास थाना ठाकुरद्वारा जिला मुरादाबाद में आपने वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी के पुत्र पप्पू व गोपाल रस्तोगी की मोटर साईकिल नं०— यू०पी० 22 आर 7908 प्लेटिना को टक्कर मार दी जिससे वादी के पुत्र व गोपाल रस्तोगी की मृत्यु हो गयी। इस बारे में आपको क्या कहना है ?

उत्तर—

प्र०न०-02 क्या आपको कुछ और कहना है।

उत्तर—

मैं एतद्वारा निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोपो पर आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

..

दिनांक: 13.05.2019

(प्रीति मोगा)  
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजि०  
ठाकुरद्वारा